



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

परिपत्र (प्रशासन)

विषय: लेखा परीक्षकों तथा स्नातक समूह 'ग' कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा- अगस्त, 2026 के सम्बन्ध में।

लेखा परीक्षकों/स्नातक समूह 'ग' कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा- अगस्त, 2026 में प्रवेश हेतु सभी पात्र लेखापरीक्षकों तथा स्नातक समूह 'ग' कर्मचारियों से आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.08.2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं। परीक्षा की पात्रता के लिए प्रत्येक सीधी भर्ती लेखापरीक्षकों का सेवाकाल 01.08.2026 को एक वर्ष का तथा स्नातक समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष का होना अनिवार्य है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत होने वाले लेखापरीक्षक अपनी प्रोन्नति के तत्काल बाद परीक्षा दे सकते हैं तथापि वह यह परीक्षा उस स्थिति में नहीं दे सकते यदि यह उनकी प्रोन्नति के 90 दिनों के भीतर आयोजित होती है।

लेखा परीक्षकों को पात्र होने के उपरान्त होने वाली लगातार छः परीक्षाओं में छः अवसरों के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। निर्धारित समय अवसरों के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सीधी भर्ती वाले लेखापरीक्षकों के प्रकरण में सेवा से निष्कासन तथा प्रोन्नत लेखापरीक्षक के प्रकरण में लिपिक वर्ग में पदावनति अपरिहार्य होगी।

पदावनत लिपिकों को उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु पदावनति की दो वर्ष की अवधि के दौरान तीन अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जायेंगे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थाई आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशासकीय) खण्ड-1 के पैरा 9.4.4 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष प्रत्याशियों के सेवाकाल में उपरोक्त परीक्षा की पात्रता हेतु 60 दिनों की छूट दे सकते हैं।

सीधी भर्ती लेखा परीक्षकों / वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत होने वाले लेखा परीक्षकों के लिए यह परीक्षा अनिवार्य है।

परीक्षा के वास्तविक रूप में न बैठने पर भी यह परीक्षा एक अवसर मानी जाएगी। अतः सभी पात्र लेखापरीक्षक इस परीक्षा में अवश्य भाग लें। परीक्षा के माध्यम का उल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट भरा होना चाहिए तथा आवेदन पत्र सम्बन्धित शाखा अधिकारियों द्वारा सिफारिश किया जाना चाहिए।

सभी अभ्यर्थियों के सूचनार्थ उपरोक्त परीक्षा का पाठ्यक्रम, जिसे मुख्यालय के पत्र संख्या 02 of 2022 vide No. 05/08 -Exam / syllabus Revision / 2021 दिनांक 07.01.2022 द्वारा अग्रेषित किया गया है, संलग्न किया गया है।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1 (2024) issued vide No. 15/15-Exam/ Exam Conducting Centrally/2023 दिनांक 17.01.2024 में निहित निर्देशों के अनुसार, इस परीक्षा में 0.25 अंक (25 प्रतिशत) प्रत्येक गलत उत्तर की नकारात्मक अंकन (negative marking) है।

परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।

परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

हस्ता/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक: 04.08.2026

पृ०सं०:प्रशासन/ले०प०/ ले०प०वि०परीक्षा/2026-27/698-701

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. निजी सहायक, उप महालेखाकार (प्रशासन)
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्र०) कार्यालय, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला
4. सभी सम्बन्धित कर्मचारी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)